



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1343) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-07/2025/5099लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम-12, 2025]

बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 15, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम, ।

भारत गणराज्य के छिहतरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नांलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की प्रस्तावना में संशोधन।-अधिनियम की प्रस्तावना में, “बिहार राज्य में जल” शब्दों के पश्चात् तथा “या अन्य सामग्री” शब्दों के मध्य से “गैस” शब्द को विलोपित किया जायेगा।

3. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा-03 की उप-धारा-(1) में संशोधन।-

अधिनियम की धारा-3(1) के प्रथम वाक्य में “जल, गैस या अन्य सामग्री ले जाना” शब्दों के स्थान पर “जल या सामग्री ले जाना” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा-9 की उप-धारा-(2) एवं (3) का प्रतिस्थापन।

- (1) धारा-9(2)-जहाँ किसी भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार राज्य सरकार अथवा निगम में निहित हो गया हो, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम, मुआवजा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, धारा-4 की उप-धारा-1 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तिथि को उस भूमि के बाजार मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत पर परिगणित मुआवजा, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कथित तिथि को भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-“बाजार मूल्य” से तात्पर्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर संशोधित बिहार नियमावली में निर्धारित पद्धति के आधार पर निर्धारित मूल्य।

- (2) धारा-9(3)-यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य किसी पक्षकार को स्वीकार्य न हो तो 30 (तीस) दिनों के भीतर व्यथित व्यक्ति भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा परिभाषित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन देगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5. बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा-10 की उप-धारा-(4) का प्रतिस्थापन।-

धारा-10(4)-यदि मुआवजा अथवा अतिरिक्त मुआवजा या उसके किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित प्राधिकरण को संदर्भित करेगा और उस पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-07/2025/5100 लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2025 को अनुमत बिहार भूमिगत पाइप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम संख्या-12, 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[BIHAR ACT 12, 2025]

**The Bihar Underground Pipe Line (Acquisition of Right of user in Land)
(Amendment) ACT, 2025**

AN

ACT

To amend the Bihar Underground Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2011 (Bihar Act 15, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, Extent and Commencement.-

- (1) This Act may be called The Bihar Underground Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force on such the date as notified by the State Government in the Official Gazette

2. Amendment of the Preamble of the Bihar Underground Pipe Line (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2011.-

In the Preamble to the Act, the word "gas", after the words, "for carrying of water" and before the words, "or other material" shall be deleted.

3. Amendment of section-3(1) of the Bihar Underground Pipe Line (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2011.-

In the section-3(1) of the Act, the words "for the carrying out water, gas or other material" in the first sentence, shall be substituted by "for carrying of water or other material".

4. Substitution of sub-section (2) and (3) of Section 9 of the Bihar Underground Pipe Line (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2011.-

- (1) **Section-9(2)**-Where the right of user of any land has vested in the State Government or the Corporation, the State Government or the Corporation, as the case may be, shall be liable to in addition to compensation, if any, compensation calculated at 10 (ten) percent of the market value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section -4. The market value of the land on the said date shall be determined by the competent authority.

Explanation-"Market value" means the value determined on the basis of methods as prescribed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013 and the Bihar Rules framed thereunder, as amended from time to time.

- (2) **Section-9(3)**-If the market value determined by the competent authority is not acceptable to either of the party, an application may be made by the aggrieved party within 30 (thirty) days to the court as defined under the

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whose decision will be final.

5. Substitution of sub-section-(4) of Section-10 of the Bihar Underground Pipe Line (Acquisition of Right of user in Land) Act, 2011.-

Section-10(4)-If any dispute arises as to the apportionment of the compensation or additional compensation or any part thereof, the competent authority shall refer the dispute to Authority as defined under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, and the decision of the Authority thereon shall be final.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1343-571+400-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>